

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चंडीगढ़

कार्यालय आदेश

क्रमांक प्रशा.-II/लेखापरीक्षा/2024-25/29

दिनांक - 16.04.2024

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा दिनांक 13.02.1998 को जारी अधिसूचना संख्या 11013/10/97-स्था.(ए) के संदर्भ में, प्रधान महालेखाकार ने कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित समिति का पुनर्गठन करने की स्वीकृति प्रदान की है:-

1.	सुश्री श्वेता मिश्रा, उप महालेखाकार	अध्यक्ष
2.	सुश्री शरीन जैकब, अधिवक्ता (एनजीओ)	सदस्य
3.	श्री रोशन लाल शर्मा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	श्री गुरु सरूप बंसल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
5.	सुश्री कैलाश कुमारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
6.	सुश्री ज्योति, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य

यौन उत्पीड़न की शिकायतों, यदि कोई हो, से निपटते समय समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों या गवाहों को प्रताड़ित न किया जाए और उनके साथ भेदभाव न किया जाए। ऐसी शिकायतों से निपटने के दौरान विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (जेटी 1997(7)एससी384) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

क्रमांक प्रशासन-II/ लेखापरीक्षा /परिपत्र/एसएचसीआरसी/2024-25/184-196

दिनांक:- 16.04.2024

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित:-

1. सुश्री श्वेता मिश्रा, उप महालेखाकार
2. सुश्री शरीन जैकब, अधिवक्ता (एनजीओ)
3. श्री गुरु सरूप बंसल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
4. सुश्री कैलाश कुमारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
5. सुश्री श्वेता बेंस, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
6. सुश्री ज्योति, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
7. श्री सुंदर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक
8. कार्यालय के सभी समूह अधिकारी
9. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एच.के. अनुभाग, कार्यालय में डिस्प्ले बोर्ड हेतु
10. कार्यालय के सभी अनुभाग
11. कार्यालय आदेश फ़ाइल (प्रशा.-1)

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन-2)